UPBS010017862025

न्यायालय द्वितीय अपर जनपद न्यायाधीश न्यायालय संख्या-2, जनपद बस्ती।

पीठासीन अधिकारी- जितेन्द्र गुप्ता, एच०जे०एस०

फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या-153/2025

कुशलावती----------बनाम ----------सूर्यमणि आदि ।

दिनांक 03.06.2026

1- पत्रावली पेश हुई। पुकार पर निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। निगरानीकर्ता के प्रार्थनापत्र 6 ख अन्तर्गत धारा-5 परिसीमा अधिनियम मय शपथ पत्र पर सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

2- आवेदिका /निगरानीर्ता की तरफ से प्रार्थनापत्र 6 ख अन्तर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम,1963, समर्थित शपथ पत्र 7 ख प्रस्तुत करके यह कथन किया गया है कि प्रार्थिनी महिला है तथा उक्त मुकदमें की परिवादिनी है। उक्त मामले में सुनवाई पत्रावली आदेश मे चली गयी थी काफी दिनों से पत्रावली नहीं मिल रही थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदेश दिनाँक 18.10.2024 को पारित किया है जबकि अपने हस्ताक्षर दिनाँक 18.08.2024 में किये है। जिससे स्पष्ट है कि आदेश विधि सम्मत नहीं है। प्रार्थिनी को काफी दिन बाद आदेश का पता चला तब अपने वकील के द्वारा नकल की दरखास्त दिया। उक्त आदेश दिनाँक 11.03.2025 को प्रार्थिनी को मिला । प्रार्थिनी महिला है वह बीमार हो गयी थी फिर भी समय से एक माह के अंदर निगरानी दाखिल की है उसे पूरी उम्मीद है कि उसकी निगरानी स्वीकार होगी। न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ दिया जाना जरुरी है। प्रार्थिनी ने जानबूझकर गलत नही किया है। धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ न मिलने से प्रार्थिनी की अपूर्तिनीय क्षति होगी। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि दफा 5 मियाद अधिनियम का लाभ देकर तथा विलंब को क्षमा करके निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी को अंगीकार किया जाय।

3- विपक्षी सं०-1 लगायत विपक्षी सं०-8 अनुपस्थित ।

4- सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है प्रार्थी/निगरानीकर्ता विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 18.10.2024 के विरुद्ध निगरानी संस्थित की है। मुंसरिम की आख्यानुसार निगरानी दाखिल करने में 81 दिन का विलम्ब है। आवेदक द्वारा विलम्ब का यह कारण दिया गया है कि उक्त मामले में सुनवाई पत्रावली आदेश मे चली गयी थी काफी दिनों से पत्रावली नहीं मिल रही थी। निगरानीकर्ता ने जानबूझकर कोई लापरवाही नहीं किया है। उक्त कथन के समर्थन में शपथपत्र 7 ख दाखिल किया गया है।

विलम्ब के क्षमा किये जाने के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **एम 0 बालकृष्णनन प्रति एन 0 कृष्णमूर्ति ए 0 आई 0 आर 0 1998 एस 0 सी0 सी0 पृष्ठ सं0-3223** में दी गयी विधि व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए, जिसमें यह अवधारित किया गया है कि प्रार्थनापत्र में वर्णित पर्याप्त कारण के प्रति उदारतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। वस्तुतः

न्यायालय में निहित विशेषाधिकार का प्रयोग करने के लिए यह पूर्व शर्त है कि पर्याप्त कारण को साबित किया जाय किन्तु विशेषाधिकार का प्रयोग इस प्रकार से नहीं किया जायेगा जिससे विशेषाधिकार कठोर विधि के रूप में परिवर्तित हो जाये। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पा बनाम मधुर व अन्य 2001(1)जे०आई०सी०-588(सुप्रीम कोर्ट)** के मामले में कहा है कि यदि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध है और पुनरीक्षण की शक्ति को प्रयोग कर उसको सही किये जाने की आवश्यकता है, तो तकनीकी आधार पर धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के प्रार्थना पत्र को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। यदि विलम्ब का पर्याप्त कारण दिया गया है।

6- उपरोक्तवर्णित विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित विधि सिद्धान्त के प्रकाश में तथा समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर प्रार्थी की ओर से विलम्ब का युक्तियुक्त स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है। मामले के गुणदोष पर निस्तारण हेतु विलम्ब को माफ किया जाना न्यायहित में उचित एवं आवश्यक प्रतीत होता है। विपक्षी को हुई हानि की क्षतिपूर्ति हर्जे से की जा सकती है। अतः उपरोक्त विधिक सिद्धान्तों के आलोक में प्रार्थना पत्र 6ख, अन्तर्गत धारा-5 परिसीमा अधिनियम मु०-500/रू० हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदिका / निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 6ख अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम, विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु, मु०-500/रू०(पाँच सौ रूपये) हर्जे पर **<u>स्वीकार</u>** किया जाता है। तद्नुसार निगरानी दाखिल करने में कारित विलंब को क्षमा किया जाता है। फौजदारी निगरानी के अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली माननीय जनपद न्यायाधीश, बस्ती, के न्यायालय में दिनांक 25-06-2026 को पेश हो।

दिनांक- 03.06.2026

(जितेन्द्र गुप्ता)
द्वितीय अपर जनपद न्यायाधीश
न्यायालय संख्या-2,बस्ती।
J.O. Code-U.P.2665

टाइप कर्ता आशुलिपिक

लालबाबू यादव